

राजस्थान विधान सभा

पंचम सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2015

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.7(1ए)एफ.डी-1(1)/बजट/एफआरबीएम/2005 दिनांक 16.3..2015 जिसके द्वारा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2006 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(51)वित्त/कर/2014-6 दिनांक 15.4..2015 जिसके द्वारा रिडकोर के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।
3. अधिसूचना संख्या: एफ.15(19)वित्त/कर/2014-7 दिनांक 21.4..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.15(19)वित्त/कर/2014-179 दिनांक 28.1..2015 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-8 दिनांक 23.4..2015 जिसके द्वारा जापानी एवं कोरियाई निवेशकों द्वारा जापानी जोन द्वितीय एवं कोरियन जोन में स्थापित इकाईयों के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत कर का निर्धारण किया गया है।
5. अधिसूचना संख्या: एफ.24(1)वित्त/कर/2014-10 दिनांक 24.4..2015 जिसके द्वारा गोलछा सिनेमाहाल जयपुर में निर्धारित अवधि में अधिसूचना में उल्लेखित फिल्मों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गई है।
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(34)वित्त/कर/2010-11 दिनांक 27.4..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची IV में संशोधन किया गया है।
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(34)वित्त/कर/2010-12 दिनांक 27.4..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V में संशोधन किया गया है।
8. अधिसूचना संख्या: एफ.2(35)वित्त/कर/2014-14 दिनांक 5.5..2015 जिसके द्वारा माही सीमेंट लि. का इण्डो जिंक लि. में अमलगेशन के आदेश पर देय स्टाम्प ड्यूटी के ब्याज एवं पेनल्टी में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(177)वित्त/कर/06-15 दिनांक 5.5..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची II में संशोधन किया गया है।
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(177)वित्त/कर/06-16 दिनांक 5.5..2015 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा मैसर्स होण्डा कार्स लि. को विक्रय किये गये माल पर 4 प्रतिशत से अधिक की सीमा तक देय वेट में छूट प्रदान की गई है।
11. अधिसूचना संख्या: एफ.2(30)वित्त/कर/2015-17 दिनांक 15.5..2015 जिसके द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार को पंजीयन कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2015-18 दिनांक 15.5..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(114)वित्त/कर/07-56 दिनांक 27.11..2007 को अधिक्रमित किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या:एफ.2(51)वित्त/कर/2014-19 दिनांक 21.5..2015 जिसके द्वारा रिडकोर इन्फ्रा प्रोजेक्टस लि. के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।
14. अधिसूचना संख्या:एफ.12(74)वित्त/कर/2014-20 दिनांक 2.6..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ 12(74)वित्त/कर/2014-105 दिनांक 24.9.2014 को अधिक्रमित किया गया है।
15. अधिसूचना संख्या:एफ.05(18)वित्त/कर/2015-22 दिनांक 8.6..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3..2015 में संशोधन किया गया है।
16. अधिसूचना संख्या:एफ.5(18)वित्त/कर/2015-23 दिनांक 8.6..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(15)वित्त/कर/2014-50 दिनांक 14.7..2014 में संशोधन किया गया है।
17. अधिसूचना संख्या:एफ.2(15)वित्त/कर/2010-24 दिनांक 10.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जारी नॉन कनवर्टेबल बॉण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।
18. अधिसूचना संख्या:एफ.12(43)वित्त/कर/2011-25 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची- VI में संशोधन किया गया है।
19. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-26 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत अधिसूचना में उल्लेखित माल के विक्रय पर कर में छूट प्रदान की गई है।
20. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-27 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत अधिसूचना में उल्लेखित माल के विक्रय पर कर में छूट प्रदान की गई है।
21. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-28 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
22. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-29 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत अधिसूचना में उल्लेखित माल के विक्रय पर कर में छूट प्रदान की गई है।
23. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-30 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत खाद्य तेल के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
24. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-31 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत भारी वाणिज्यिक मोटर वाहनों के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
25. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत पैकिंग सामग्री के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
26. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत अनाज एवं दालों के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
27. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-34 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार 4 प्रतिशत कर देय माल की बिक्री पर देय केन्द्रीय बिक्री कर की दर में 4 प्रतिशत दर से जितना अधिक हो, की सीमा तक कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

28. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-35 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत मोटर वाहनों के टायर और ट्यूबों के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
29. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-36 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत प्री इन्जीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
30. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-37 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत सीमेंट के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
31. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-38 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत एसी प्रेशर पाईपों के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
32. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-39 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न और नायलॉन फिलामेन्ट यार्न के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
33. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-40 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न/नायलॉन फिलामेन्ट यार्न, पालीमर चिप्स एवं पालीप्रोपिलिन फिलामेन्ट यार्न के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
34. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-41 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत सभी प्रकार के मानव निर्मित रेशे एवं मानव निर्मित धागे इत्यादि के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
35. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-42 दिनांक 12.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अंतर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994/ राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अधिसूचित दर वाले माल की बिक्री पर देय केन्द्रीय बिक्री कर की दर में अधिक की सीमा तक कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
36. अधिसूचना संख्या:एफ.12(121)वित्त/कर/2011-43 दिनांक 19.6..2015 जिसके द्वारा मैसर्स लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. द्वारा प्लान्ट स्थापन हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल के प्रवेश पर कर में छूट में प्रदान की गई है।
37. अधिसूचना संख्या:एफ.2(39)वित्त/कर/2015-44 दिनांक 23.6..2015 जिसके द्वारा बल्लभ पित्ती गुप की कम्पनियों के पक्ष में निष्पादित लीज/सैल डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।
38. अधिसूचना संख्या:एफ.2(15)वित्त/कर/2015-46 दिनांक 26.6..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(4)वित्त/कर/2015-230 दिनांक 9.3..2015 को अधिक्रमित किया गया है।
39. अधिसूचना संख्या:एफ.2(15)वित्त/कर/2015-47 दिनांक 26.6..2015 जिसके द्वारा डेब्ट असाईनमेन्ट के दस्तावेज पर देय पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
40. अधिसूचना संख्या:एफ.2(27)वित्त/कर/2015-48 दिनांक 26.6..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(15)वित्त/कर/2008-95 दिनांक 25.2..2008 को विखंडित किया गया है।
41. अधिसूचना संख्या:एफ.12(37)वित्त/कर/2015-49 दिनांक 1.7..2015 जिसके द्वारा श्री वल्लभ पिती गुप की कम्पनियों के लिए राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

42. अधिसूचना संख्या:एफ.12(37)वित्त/कर/2015-50 दिनांक 1.7..2015 जिसके द्वारा श्री वल्लभ पित्ती ग्रुप की कम्पनियों द्वारा माल के निर्माण हेतु ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क की दर सशर्त घटाई गई है।
43. अधिसूचना संख्या:एफ.2(45)वित्त/कर/2015-53 दिनांक 10.7..2015 जिसके द्वारा मैसर्स यजाकी इण्डिया प्रा० लि. के पक्ष में निष्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।
44. अधिसूचना संख्या:एफ.24(1)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 13.7..2015 जिसके द्वारा डेली न्यूज एण्ड एनालाइसिस, जयपुर द्वारा गोलछा थियेटर, जयपुर में दिनांक 08.07.2015 से 31.07.2015 तक बाल फिल्म महोत्सव चरण.2 में बाल फिल्मों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर का परिहार किया गया है।
45. अधिसूचना संख्या:एफ.12(3)वित्त/कर/2015-57 दिनांक 17.7..2015 जिसके द्वारा मैसर्स याजाकी इण्डिया प्रा. लि., भिवाडी को राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर की धारा 9 के अन्तर्गत प्लांट की स्थापना पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।
46. अधिसूचना संख्या:एफ.12(3)वित्त/कर/2015-58 दिनांक 17.7..2015 जिसके द्वारा मैसर्स याजाकी इण्डिया प्रा. लि., भिवाडी द्वारा निर्माण गतिविधियों में उपभुक्त ऊर्जा पर देय विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
47. अधिसूचना संख्या:एफ.12(75)वित्त/कर/2015-59 दिनांक 21.7..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है।
48. अधिसूचना संख्या:एफ.12(75)वित्त/कर/2015-60 दिनांक 21.7..2015 जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा 'बेसिक श्रेणीकृत हेरिटेज होटलों में पकाये एवं परोसे गये भोजन की बिक्री पर कर से छूट संबंधी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है।
49. अधिसूचना संख्या:एफ.2(41)वित्त/कर/2015-62 दिनांक 23.7..2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट गैस लि० द्वारा अधिकृत अंश पूंजी बढ़ाने पर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है।
50. अधिसूचना संख्या:एफ.2(51)वित्त/कर/2015-63 दिनांक 23.7..2015 जिसके द्वारा रिप्स 2014 के तहत जिन एन्टरप्राइजेज के पक्ष में कोस्टोमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किया गया है ऐसे एन्टरप्राइजेज द्वारा कोस्टोमाइज्ड पैकेज के अनुसार भूमि निर्माण सहित या रहित के क्रय/लीज के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को शत-प्रतिशत माफ किया गया है।
51. अधिसूचना संख्या:एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-III-64 दिनांक 24.7..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं.एफ.12(28)वित्त/कर/2010 पार्ट-III-192 में संशोधन किया गया है।
52. अधिसूचना संख्या:एफ.12(54)वित्त/कर/2015-पार्ट-I-69 दिनांक 24.7..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं. एफ.12(14)वित्त/कर/2006-136 दिनांक 8.3.2006 समय-समय पर यथा संशोधित में संशोधन किया गया है।
53. अधिसूचना संख्या:एफ.2(60)वित्त/कर/2012-70 दिनांक 24.7.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं.एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है।
54. अधिसूचना संख्या:एफ.12(44)वित्त/कर/2015-71 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा रिप्स 2014 के अन्तर्गत मैसर्स भूमिका एन्टरप्राइजेज प्रा. लि., उदयपुर को मनोरंजन कर से सात वर्ष की अवधि हेतु सशर्त कर में छूट दी गई है।
55. अधिसूचना संख्या:एफ.12(44)वित्त/कर/2015-72 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा रिप्स 2014 के अन्तर्गत मैसर्स भूमिका एन्टरप्राइजेज प्रा. लि. उदयपुर को क्षेत्र में पर्यटन संबंधी इकाई की स्थापना हेतु प्रवेश कर में 75 प्रतिशत सशर्त कर में छूट दी गई है।

56. अधिसूचना संख्या:एफ.12(44)वित्त/कर/2015-73 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा रिप्स 2014 के अन्तर्गत मैसर्स भूमिका एन्टरप्राइजेज प्रा. लि. उदयपुर को क्षेत्र में पर्यटन संबंधी इकाई में सशर्त विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दस वर्षों के लिए प्रदान की गई है।
57. अधिसूचना संख्या:एफ.12(55)वित्त/कर/2013-75 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा मैसर्स मनीपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर को प्रदेश में माल के प्रवेश से 3.9.2013 से 2.9.2016 तक प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।
58. अधिसूचना संख्या:एफ.12(55)वित्त/कर/2013-76 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा मैसर्स मनीपाल इन्टीग्रेटेड सर्विसेज प्रा. लि. जयपुर, को प्रदेश में यूनिवर्सिटी की स्थापना के संबंध में दिनांक 3.9.2013 से 2.9.2016 तक प्रवेश कर में छूट दी गई है।
59. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2013-78 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा रिप्स 2014 के अन्तर्गत मैसर्स जिन्दल साँ लि., भीलवाड़ा को विद्युत शुल्क में सशर्त 50 प्रतिशत की छूट दस वर्षों के लिए प्रदान की गई है।
60. अधिसूचना संख्या:एफ.12(74)वित्त/कर/2014-79 दिनांक 14.8.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं.एफ.12(74)वित्त/कर/2014-20 दिनांक 2.6.2015 को अधिसूचित किया गया है।
61. अधिसूचना संख्या:एफ.2(42)वित्त/कर/2009-81 दिनांक 28.8.2015 जिसके द्वारा डिस्कोम/राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि०/राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा विभिन्न बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से ऋण की पुर्नसंरचना के लिये दिनांक 31.03.2020 तक निष्पादित किये जाने वाले ऋण के करारों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई है।
62. अधिसूचना संख्या:एफ.2(42)वित्त/कर/2009-82 दिनांक 28.8.2015 जिसके द्वारा आरवीएनएल/आरवीयूएनएल द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर जारी किये जाने वाले नॉन-कनवर्टेबल बॉण्ड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी गई है।
63. अधिसूचना संख्या:एफ.12(161)वित्त/कर/09-83 दिनांक 28.8.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं.एफ.12(161)वित्त/कर/09-1 दिनांक 2.6.2014 में संशोधन किया गया है।
64. अधिसूचना संख्या:एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-I-84 दिनांक 31.8.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं.एफ.4(33)वित्त/कर/87-02 दिनांक 25.5.2009 में संशोधन किया गया है।
65. अधिसूचना संख्या:एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-I-85 दिनांक 31.8.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं.एफ.4(33)वित्त/कर/87-03 दिनांक 25.5.2009 में संशोधन किया गया है।
66. अधिसूचना संख्या:एफ.2(18)वित्त/कर/2015-86 दिनांक 3.9.2015 जिसके द्वारा राविल का अमलगमेशन रूफिडको में किये जाने के आदेश पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है।
67. अधिसूचना संख्या:एफ.1(8)एफ.डी/जीएफ एण्ड ए आर/2014 दिनांक 5.6..2015 जिसके द्वारा उपापन की पद्धति निर्धारित की गई है।
68. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफ.डी/जीएफ एण्ड ए आर/2014 दिनांक 5.6..2015 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है।
69. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफ.डी/जीएफ एण्ड ए आर/2014 दिनांक 28.8..2015 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 में संशोधन किया गया है।
70. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफ.डी/जीएफ एण्ड ए आर/2014 दिनांक 28.8..2015 जिसके द्वारा पांचों विद्युत कम्पनियों को कतिपय शर्तों पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 31 के लागू किये जाने से और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 के नियम 17 के उपनियम (1) के अधीन विहित वित्तीय सीमाओं से, इसके द्वारा 31.7.2018 तक छूट प्रदान की गई है।

राजस्व विभाग

(II) श्री अमराराम, राजस्व राज्य मंत्री निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे:-

1. अधिसूचना संख्या: प.1(45)राज-6/2014/1 दिनांक 24.2.2015 जिसके द्वारा धौलपुर-सरमथुरा से गंगापुर सिटी रेल लाईन अमान परिवर्तन के लिए भूमि अर्जन कार्यवाही हेतु उप खण्ड अधिकारी धौलपुर,बाड़ी एवं सरमथुरा को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कलक्टर के कृत्यों हेतु शक्ति प्रदान की गई है।
2. अधिसूचना संख्या: प.6(32)राज-6/2014/2 दिनांक 24.2.2015 जिसके द्वारा भू-राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किये गये हैं।
3. अधिसूचना संख्या: प.9(234)राज-6/07/ दिनांक 24.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक भूमि आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/2014/4 दिनांक 12.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
5. अधिसूचना संख्या: प.6(30)राज-6/2000/5 दिनांक 09.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।
6. अधिसूचना संख्या: प.6(24)राज-6/2001/पार्ट/6 दिनांक 9.4.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना प.2(495)राज/ख/68 दिनांक 7.8.1971 को विखण्डित किया गया है।
7. अधिसूचना संख्या: प.6(13)राज-6/2014/7 दिनांक 10.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
8. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/2014/8 दिनांक 29.4.2015 जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।
9. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/2014/9 दिनांक 29.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
10. अधिसूचना संख्या: प.9(98)राज-6/2014/10 दिनांक 30.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
11. अधिसूचना संख्या: प.6(1)राज-6/2014/पार्ट/11 दिनांक 06.5.2015 जिसके द्वारा दिनांक 11.5.2015 से 15.7.2015 तक राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 के दौरान नामान्तरणकरण निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु तहसीलदारों को दी गई है।
12. अधिसूचना संख्या: प.6(25)राज-6/2014/पार्ट/12 दिनांक 08.5.2015 जिसके द्वारा स्कूलों, कॉलेजों आदि लोकोपयोगी प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन नियम 1963 में राजकीय विभागों को प्रतिबंधित किस्म की भूमि आवंटन हेतु आवंटन अधिकारियों का सशक्त किया गया है।
13. अधिसूचना संख्या: प.9(15)राज-6/2005पार्ट/13 दिनांक 13.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1970 में संशोधन किया गया है।
14. अधिसूचना संख्या: प.9(8)राज-6/2015/14 दिनांक 13.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान शौर्य पदक, (केश रिवाई एवं लैण्ड ग्रान्ट) नियम 1966 में संशोधन किया गया है।
15. अधिसूचना संख्या: प.6(1)राज-6/2014/पार्ट-I/15 दिनांक 14.5.2015 जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां जिलो में कार्यरत सहायक कलक्टर को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्रदान की गई है।

16. अधिसूचना संख्या: प.11(4)राज-6/2014/16 दिनांक 22.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
17. अधिसूचना संख्या: प.11(4)राज-6/2014/17 दिनांक 22.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।
18. अधिसूचना संख्या: प.1(51)राज-6/2014/18 दिनांक 22.5.2015 जिसके द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत भूमि अर्जन कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी तिजारा को अपने क्षेत्राधिकार में सशक्त किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।
19. अधिसूचना संख्या: प.4(1)राज-6/2006/पार्ट/19 दिनांक 26.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 में संशोधन किया गया है।
20. अधिसूचना संख्या: प.2(3)राज-6/2015/20 दिनांक 26.5.2015 जिसके द्वारा ग्रामदानी गांव काठौड़ी, लाणेला एवं भादासर जिला जैसलमेर की कतिपय भूमियों को ग्राम सभा के प्रवन्धन से निर्निहित किया गया है।
21. अधिसूचना संख्या: प.11(4)राज-6/2014/21 दिनांक 29.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
22. अधिसूचना संख्या: प.9(14)राज-6/2015/22 दिनांक 1.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (एग्रोप्रोसेसिंग एण्ड एग्रीबिजनेस एन्टप्राइजेज स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम 2011 में संशोधन किया गया है।
23. अधिसूचना संख्या: प.6(1)राज-6/2014/23 दिनांक 15.7.2015 जिसके द्वारा किसी राजस्व अपील अधिकारी के अवकाश पर रहने पर उस न्यायालय कार्य संपादन हेतु कतिपय लिंक अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
24. अधिसूचना संख्या: प.9(126)राज-6/2012/24 दिनांक 22.7.2015 जिसके द्वारा समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर अधिरोपित समस्त कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के भीतर दिनांक 30.11.2015 तक अधिकृत किया गया है।
25. अधिसूचना संख्या: प.9(126)राज-6/2012/25 दिनांक 22.7.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर दिनांक 30.11.2015 तक की अवधि के लिए सशक्त किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।
26. अधिसूचना संख्या: प.9(126)राज-6/2012/26 दिनांक 22.7.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत भूमि विभाजन के लिए तहसीलदार की शक्तियां दिनांक 30.11.2015 तक के लिए प्रदान करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।
27. अधिसूचना संख्या: प.4(1)राज-6/2006/पार्ट/30 दिनांक 12.8.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 में संशोधन किया गया है।

परिवहन विभाग

(III) श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.7(4)परि/रूल्स/एच.क्यू/2015/5492 दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या: एफ.7(4)परि/नियम/मु/II/92/12004 दिनांक 30.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या: एफ.7(3)परि/रूल्स/एच.क्यू/2005/IV/16855 दिनांक 31.8.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या: एफ.6(96)/परि/कर/मु/उर्स/5732-45 दिनांक 7.4.2015 जिसके द्वारा दिनांक 13.4.2015 से 1.5.2015 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर में आने-जाने वाले यात्री वाहनों के लिए कर में छूट प्रदान की गई है।
5. अधिसूचना संख्या: एफ.6(266)परि/कर/मु/2006/8366-79 दिनांक 15.5.2015 जिसके द्वारा 12 बैठक क्षमता से अधिक वाले वातानुकूलित यात्री वाहनों (स्लीपर कोच के अतिरिक्त) पर देय विशेष सड़क कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
6. अधिसूचना संख्या: एफ.6(79)परि/कर/मु/95/6/13910 दिनांक 22.7.2015 जिसके द्वारा 2012 तक देय कर पर ऐमनेस्टी योजना के तहत शास्ति व ब्याज में छूट प्रदान की गई है।

ऊर्जा विभाग

(IV) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे:-

1. अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि. 110 दिनांक 26.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (रूफ टॉप तथा लघु सौर ग्रिड पास्परिक क्रिया तंत्र हेतु संयोजिता तथा नेट मीटरिंग) विनियम, 2015 विरचित किये गये हैं।
2. अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम-111 दिनांक 18.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों - पवन तथा सौर ऊर्जा के लिए टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम-112 दिनांक 18.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा बाध्यता) विनियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि. 113 दिनांक 7.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों- बाँयोमॉस, बाँयोगैस तथा बाँयोमॉस गैसीफायर ऊर्जा के लिए टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2015 विरचित किये गये हैं।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री प्रद्युमन सिंह, सभापति, जनलेखा समिति, 2015-2016 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे:-

1. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 13वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 57वां प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 12वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 58वां प्रतिवेदन।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.6, 2.3.1, वित्त विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 2.4.9 वित्त, पेंशन एवं सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 59वां प्रतिवेदन।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सिविल) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.4.3, माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 60वां प्रतिवेदन।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.4.5 एवं 3.4.6 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 61वां प्रतिवेदन।

6. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 46वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 62वां प्रतिवेदन।
7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सिविल) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.4.1 पर्यावरण विभाग, अनुच्छेद संख्या 3.1.2 एवं वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.1.2 तथा 2.4.6 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 63वां प्रतिवेदन।
8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 2.1, 3.1.1 एवं 3.3.2 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 64वां प्रतिवेदन।
9. जनलेखा समिति, 2003-04 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 210वें प्रतिवेदन में देवस्थान विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2015-16 का 65वां प्रतिवेदन।
10. जनलेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के 180वें प्रतिवेदन में आबकारी विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2015-16 का 66वां प्रतिवेदन।
11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.3 उद्योग विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 67वां प्रतिवेदन।

(II) श्री मोहनलाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे:-

1. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2009-10) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 27वां प्रतिवेदन।
2. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2009-10) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 28वां प्रतिवेदन।
3. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) (संख्या-4) वर्ष 2009-10) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 29वां प्रतिवेदन।
4. राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-4) वर्ष 2010-11) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 30वां प्रतिवेदन।
5. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) (संख्या-4) वर्ष 2010-11) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 31वां प्रतिवेदन।
6. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2010-11) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 32वां प्रतिवेदन।
7. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) (संख्या-4) वर्ष 2010-11) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 33वां प्रतिवेदन।
8. राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-2) वर्ष 2011-12) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 34वां प्रतिवेदन।
9. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-2) वर्ष 2011-12) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 35वां प्रतिवेदन।
10. राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 1999-2000) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-15 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति विषयक राजकीय उपक्रम समिति 2015-16 का 36वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन।

(III) श्री गोपाल कृष्ण, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख', 2015-2016 प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 के 20वें प्रतिवेदन में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

(IV) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण संबंधी समिति, 2015-2016 राज्य सरकार के देवस्थान विभाग में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का विभाग में आरक्षण एवं बैकलॉग की पूर्ति के संबंध में समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी।

4. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-2016 का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वर्ष 2015-2016 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करेंगे।

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान पुलिस (संशोधन)
विधेयक, 2015

(2015 का विधेयक संख्या-32)

"राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 को संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(II) कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

कारागार (राजस्थान संशोधन)
विधेयक, 2015

(2015 का विधेयक संख्या-36)

"कारागार अधिनियम, 1894 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(III) राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक,2015

- (I) श्री राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी
(निवारण) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-40)

"उच्च न्यायालय में और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में तंग करने वाली सिविल और दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने को निवारित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 18 सितम्बर, 2015

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव